कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

संख्याः 2217/आब0सहा0/2017–18 दिनांक 23 अक्टूबर, 2017

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न मदिरा की दुकानों के पुर्नव्यवस्थापन की कार्यवाही पुनः आबकारी विभाग की अधिसूचना संख्या 260/XXIII/2017/04(01)2017 देहरादून दिनांक 19.05.2017 के में प्रदत्त प्राविधानुसार निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जानी है। शेष अवधि हेतु उक्त दुकानों के राजस्व का विवरण निम्नवत है–

वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु पुर्नव्यवस्थापनार्थ (दिनांक 01.11.2017 से 31.03.2018 तक) मदिरा की दुकानों के राजस्व का विवरण (रू0 में)

क0 सं0	दुकान का नाम	अनुज्ञापन का प्रकार	शेष अवधि हेतु निर्धारित कुल राजस्व	शेष अवधि हेतु लाईसेंस फीस	शेष अवधि हेतु एमएमजीडी की धनराशि	धरोहर धनराशि	दुकान हेतु वांछित हैसियत
1	सलेजफार्म	विदेशी मदिरा	37781073	3022000	34759073	755622	3778107
2	सलेजफार्म	देशी मदिरा	44791289	3583000	41208289	895826	4479123

उपरोक्तानुसार मदिरा की दुकान को इच्छुक/पात्र आवेदकों से निर्धारित प्रारूप पर पहचान पत्र, शपथ पत्र एवं धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ देशी मदिरा की दुकान हेतु रू0 22,000/– एवं विदेशी मदिरा की दुकान हेतु रू0 25,000/– का बैंक ड्राफ्ट (नॉन रिफन्डेबल) जो कि जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार के पक्ष में देय हो, सहित दिनांक 28.10.2017 तक किसी भी दिवस को कार्यालय समय में ज़िला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा करा सकते हैं। पात्रता की शर्तें आबकारी नीति वर्ष 2017–18 के अनुसार होंगी। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर जिला स्तरीय आवंटन समिति द्वारा दिनांक 30.10.2017 को कलेक्ट्रेट भवन स्थित सभागार में लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

आबकारी नीति से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार अथवा आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र–1, हरिद्वार अथवा www.uttrakhandexcise.org.in वैबसाईट अथवा से प्राप्त की जा सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि–

1. सम्पादक, दैनिक जागरण/अमर उजाला, दैनिक समाचार पत्र को इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम स्थान में शासकीय दर पर प्रकाशित कर बीजक कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. उप आबकारी आयुक्त, आई0टी0 मुख्यालय देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को www.uttrakhandexcise.org.in वैबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ कि इस विज्ञप्ति को hardwar.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र–1 हरिद्वार को व्यापक प्रचार प्रसार एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पानगी हेतु।
5. नोटिस बोर्ड, कार्यालय।

23/10/17

जिला आबकारी अधिकारी,
हरिद्वार।

Scanned by CamScanner